# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 2/2021
प्रविष्टि दिनांक 11-1-2021

रामगोपाल पुत्र हरिराम नागा जाति छीपा निवासी ग्राम-सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोंक

—रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 28-10-2020 मिसल नम्बर 1235/2020**

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कुमार कासलीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

**निर्णय** दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 28-10-2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 2123 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2125 रकमबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.13 है0 खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 0.86 है0,वाके ग्राम सोप तह0 उनियारा में राजकीय कुए को भरकर समतल कर भूमि पर अतिकमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 1574/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न ही मौके का निरीक्षण किया। अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है ओर भूमि पर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतिक्रमण भी नहीं है, मौके पर कोई कुआ भी नहीं है लेकिन उसके उपरोन्त भी बिना किसी सक्षम साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है। अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में भी इसी भूमि को लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था जिसका अपील सं0 31/2020 है, उक्त निर्णय से पूर्व ही अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर से अपना कब्जा स्वेच्छा से हटा कर उक्त सम्बन्ध में शपथ पत्र भी न्यायालय के समक्ष पेश कर रखा है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की असत्य व झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई है। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4-1-2021 को प्राप्त हुई जब पुलिस थाने से कास्टेबल अपीलान्ट के गॉव गया ओर निर्णय के बारे में अपीलान्ट के परिजनो को बताया। अपीलान्ट उक्त समय गॉव में नहीं था गॉव आने पर जानकारी होने पर दिनांक 7-1-2021 आवेदन पेश कर नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अपील पेश की है, जो देरी हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। क्षमा करने हेतु पृथक से धारा-5 भारतरीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2124 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 2123 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2125 रकमबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.13 है0 खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 0.86 है0,वाके ग्राम सोप तह0 उनियारा में राजकीय कुए को भरकर समतल कर भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1900/2020 निर्णय दिनांक 18-2-2020 से वेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 2123 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2125 रकमबा 0.22 है0,खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.13 है0 खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 0.86 है0,वाके ग्राम सोप तह0 उनियारा में राजकीय कुए को भरकर समतल कर भूमि पर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण जोत कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली सं0 1900/2020 निर्णय दिनांक 18-2-2020 के द्वारा वेदखल किया गया था। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17-9-2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2124,2123,2125,एंव 2127 पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, न ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

भूमि पर मेरा कोई कच्चा पक्का निर्माण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 28–10–2020 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner